भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.647
20.07.2018 को उत्तर के लिए

पशु बिक्री संबंधी अधिसूचना वापस लेना

647. **श्री बी. सेनगुट्टुवन :**
क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसके अंतर्गत घरेलू पशुओं को वध के प्रयोजन हेतु बेचने पर रोग लगाना आवश्यक समझा गया था जिससे दुधारू पशुओं की संख्या में हो रही कमी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिसूचना को वापस लेने के मद्देनजर गाय, बैल, भैंस, सांड, बछड़ों और ऊंटों को मुक्त रूप यह घोषणा किए बिना कि उक्त बिक्री वध के प्रयोजन हेतु नहीं की जा रहीं है बिना ही बेचा जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास घरेलू पशुओं के वध को रोकने के लिए कोई वैकल्पिक सक्रिय प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों के संबंध में जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुधन बाजारों का विनियमन) नियम, 2017 के अधिक्रमण में पशु बाजार नियम, 2018 में पुशओं के प्रति क्रूरता निवारण के प्रारूप को सा.का.नि.89 दिनांक 22.03.2018 के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन नियमों का उद्देश्य बिक्री के लिए पशु बाजार में लाए गए पशुओं पर की गई क्रूरता को रोकना तथा ऐसे पशु बाजारों को विनियमित करना है।

****